

# ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)



जल संचयन और सभी वित्तियोगियों की सहायता करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुरक्षा' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और वी.डब्ल्यू.एस.एस. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है।

1. तैयारी की तारीख: 07/4/24  
 ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 07/4/24  
 वी.डब्ल्यू.एस.एस. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख: 2/4/24

2. ग्राम का नाम: इरई मैदा  
 ग्राम पंचायत का नाम: इरई मैदा  
 ब्लॉक का नाम: श्री हनुमान  
 जिला का नाम: अकराग 92  
 राज्य का नाम: उ.प्र.  
 ग्राम जनसंख्या कोड: \_\_\_\_\_

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा: 02 (संख्या) मवेशी कुड़े को और 02 (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् 1.9 घण्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले एन.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष 2024 तक ~~2024~~ सामीप परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकासों का सम्भाल करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें सड़कित नहीं करेंगे। हम अपने गटने जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूंजी लागत का 10%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

• पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.टी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पंच अल एवं रखरखाव समिति  
 समिति को क्या कहा जाता है: पंच अल एवं रखरखाव समिति इरई मैदा  
 अध्यक्ष का नाम: बंदा (अ)  
 पति: पुरुष  
 आयु: \_\_\_\_\_

सदस्य का नाम \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ माघ \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature and text)*  
 ग्राम पंचायत अधिकारी



III. सामान्य विवरण

6.	2011 की जनगणना के अनुसार		वर्तमान पशुपालन प्रदर्शन रिकॉर्ड के अनुसार	
	जनसंख्या	1636	वर्तमान जनसंख्या	1865
	परिवारों की संख्या	212	परिवारों की संख्या	233
	महिलाओं की संख्या	803	महिलाओं की संख्या	883
	पुरुषों की संख्या	833	पुरुषों की संख्या	982
	बच्चों की संख्या	236	बच्चों की संख्या	303
	एफ.एच.टी.टी. की संख्या		एफ.एच.टी.टी. की संख्या	

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि) \_\_\_\_\_ किलोमीटर/दिन (के.एच.डी.) अंतिम चरण  
 - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि) \_\_\_\_\_ किलोमीटर/दिन (के.एच.डी.)

8. वर्तमान भव्यता संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): \_\_\_\_\_

9. कृषि फसल पैटर्न: \_\_\_\_\_

प्रमुख फसलें	शरीर	रबी
गन्ना		✓
धान	✓	
मक्का	✓	
कपास		
गेहूँ		✓
अन्य		

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): \_\_\_\_\_

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): \_\_\_\_\_

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)
13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

क्र. सं.	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी.टी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	क्या वर्षी जन संचयन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	सौख्यता मूकों की उपलब्धता? (हाँ/नहीं)
1.	स्कूल	नहीं	हाँ	हाँ
2.	आमनवादी			
3.	स्वास्थ्य केन्द्र	नहीं	हाँ	हाँ
4.	ग्राम पंचायत भवन			
5.	अन्य	नहीं	हाँ	हाँ

*(Handwritten signature)*

ग्राम कार्य योजना

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर 295.39 के एल.टी.  
 गर्मियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता 8.41 के एल.टी.  
 विशेषी कुओं की आवश्यक संख्या \_\_\_\_\_  
 माध्यमती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर 349.56 के एल.टी.  
 अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर 389.91 के एल.टी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त सूखा/अल्पता/घटती/बढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति नहीं पर्याप्त सुसज्जित जल स्रोतों पर निर्भर है
17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।
18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त
19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: किडनी, डायरेक्टा, बुखार, गहिया, पीलिया।

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: \_\_\_\_\_
21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: \_\_\_\_\_
22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता स्रोत का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_

मापदंड	तरीका	परिणाम
गंदगी	दृश्य तुलना	1.96
पीप	पट्टी रंग तुलना	7.84
पूर्ण ज्वलनता	टिट्रोमेट्रिक विधि	2.76
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रोमेट्रिक विधि	3.29
क्लोराइड	टिट्रोमेट्रिक विधि	17.02
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
फस्फेट	दृश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
आयरन	दृश्य रंग तुलना	
नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
क्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	
आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	


कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: \_\_\_\_\_

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आबादी
-----------------	----------------	-------

*(Handwritten signature)*  
 जिला सहायक अभियंता

9/11/2018





**स्रोत स्थायित्व**

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरेवेल रिचार्ज संरचना है? (हॉ/नहीं)
25. गाँव में उन मौजूदा जल स्रोतों की सूची जिनका नव्याकरण/परामर्श कार्य किया जाना आवश्यक है।  
 मंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न मंदला जल (जल आपूर्ति का 65%); 103.00 के एच.टी.  
 अलग-अलग सोखता गड़दों वाले परिवारों की संख्या 21  
 उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड़दों की आवश्यकता है: 29  
 आवश्यक सामुदायिक सोखता गड़दों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हॉ/नहीं): नहीं  
 यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: नहीं  
 यदि नहीं, तो मंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? \_\_\_\_\_

**V. जल आपूर्ति योजना**


27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:
- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
  - पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
  - निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
  - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
  - वाटर मिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
  - मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं
28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: मौजूदा जल स्रोतों से तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: कौन-कौन से गाँवों में पंचायत में की गयी।  
 इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: गाँव पंचायत हल्ड में है।  
 वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: \_\_\_\_\_  
 योजना की लागत: \_\_\_\_\_ भारत सरकार का हिस्सा: 50% राज्य का हिस्सा: 50%  
 समुदाय का हिस्सा: 10% व्यक्तिगत घरेलू असाइन: \_\_\_\_\_  
 प्रयोक्ता शुल्क: \_\_\_\_\_ वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क: \_\_\_\_\_  
 पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित \_\_\_\_\_

**VI. मेल-जोल**

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29. योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौदवा कित्त आयोग	ग्राम पंचायत	वे-वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम आदि।	
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एस.डी.एम.-जी)	पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	वे-वाटर मैनेजमेंट-सोखता गड़दें (व्यक्तिगत / सामुदायिक), अपशिष्ट तलछट तालाब आदि।	
एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ	


गाँव पंचायत





योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संबंधित गतिविधियों जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित जिला
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आर्.डब्ल्यू.एस.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन आर्.डब्ल्यू.एस.पी. कृषि सुधारण, जल निकासी का विशेष वृद्धि आदि।	गढ़
जल भारती की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और ग्राम संरक्षण विभाग	बड़े जल भारती का जीर्णोद्धार	X
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर्.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किराने कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	गढ़
प्रजापत्नी कृषि शिवाड़ी योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किराने कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न पधारी के लिए सूक्ष्म-शिवाड़ी का प्रावधान, एनवीएचटी से जल की निकासी को कम करने के लिए	X
वास्तुिक नवीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यटन, वन और जनवायु परिवर्तन मंत्रालय	हनीकरण, वन परिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन, वाटरशेड विवरस, आदि।	गढ़
प्रजापत्नी कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर्.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानक संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	X
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	गढ़
आवासीय जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियों	X
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.एफ.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	गढ़
एम.पी.एन.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.पी.एन.ए.डी.)	अंतःग्राम अवसरचना	X
एम.एन.ए.एन.ए.डी.	राज्य	अंतःग्राम अवसरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुसूचितजनजातीय जल योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसरचना	X
उपरोक्त/बाकी			

  
 Director  
 JICA  
 New Delhi



अध्यक्ष का हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): Brij Bhushan Yadav

**संपर्क विवरण**

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष/पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. मनीषा - पत्नी - राजकुमार - M. 7860524752
2. शहरवाणी - पत्नी - सुजाती - M. 9628916604
3. उपमा देवी - पत्नी - राजेश - M. 9838089696
4. सिरिजन - पत्नी - हेमराज - M. 9838954450
5. अनीता देवी - पत्नी - विनोद का - M. 9839810072

पप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर: मोहम्मद कदरुल्लाह - पिता - राष्ट्रुदीन M. 7379141798

HE  
उप-सचिव/अधिकारी  
विभाग/कार्यालय  
कनकपुर

